

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, कन्नौज

पत्र संख्या 1053/जि0आ0अ0/कन्नौज/व्यस्थापन/ई-लाटरी/2019-20 मार्च 2019

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए द्वितीय चरण दिनांक 07.03.2019 को ई-लाटरी के पश्चात् अवशेष देशी शराब, विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों माडल शाप व भांग की दुकानों के व्यस्थापन हेतु आवश्यक सूचना :-


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 1027 / जि0आ0अ0 / कन्नौज/व्यस्थापन/ई-लाटरी/2019-20/दिनांक मार्च, 07 2019 के द्वारा दिनांक 14.03.2019 को होने वाली ई-लाटरी हेतु कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की विज्ञप्ति संख्या 11431 / टास्क फोर्स/ई-लाटरी/2019-20 लखनऊ दिनांक मार्च 08 2019 के द्वारा संसोधित समय सारणी निम्नवत् है।

आनलाइन आवेदन की अवधि	दिनांक 09.03.2019 को प्रातः 10 बजे से दिनांक 12.03.2019 को 12:00 बजे अपराहन तक
----------------------	--

अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

प्रतिलिपि :- दैनिक जागरण, अमर उजाला, को इस आशय से उक्त संसोधित विज्ञप्ति को अगले अंक में न्यूनतम स्पेश में सरकारी दरों पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

नोट :- समस्त फुटकर/थोक मदिरा अनुज्ञापियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 13.03.2019 तक अपने इण्डेन्ड/मांगपत्र (कुल धनराशि सहित) प्रस्तुत करें। इण्डेन्ड/मांगपत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित कराना सम्भव नहीं होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व अनुज्ञापी का स्वयं होगा।


09.3.19

(कृष्ण मोहन)

जिला आबकारी अधिकारी
कन्नौज